(26)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–1555–दो / 2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–06–2002 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–150 / 1984–85 / अपील

.....

1– श्रीमती बुटाई विधवा पत्नी हरीफ केवट

2– रामपती तनय हरीफ केवट

निवासीगण–ग्राम चन्दुआर तहसील देवसर

जिला–सीधी(म0प्र0)

3– श्रीमती बुटुलिया पुत्री हरीफ केवट पत्नी रामलखन

निवासी–ग्राम जेठुला, तहसील सिहावत, जिला–सीधी

4– श्रीमती सोनकलिया पुत्री हरीफ केवट पत्नी भगवानदास केवट

निवासी–ग्राम ढोंगा, तहसील देवसर, जिला–सीधी

5– श्रीमती बबिया पुत्री हरीफ केवट पत्नी हीरालाल केवट

निवासी–ग्राम सन्तीचौरा, तहसील देवसर, जिलां–सीधी

6– लल्लू

7– मोतीलाल

8– समयलाल

9– पंचू

10– प्रेमलाल, पुत्रगण बंशधारी

निवासीगण–ग्राम चन्दुआर, तहसील देवसर, जिला–सीध

11– रामप्रसाद उर्फ गोविन्दगढ़ तनय बंशधारी

निवासी–ग्राम चन्दुआर तहसील देवसर, जिला–सीधी

12– श्रीमतमी बुटइया पुत्री बंशधारी पत्नी राजमणि केवट

निवासी–ग्राम झोखों तहसील देवसर, जिला–सीधी, म0प्र0

———आवेदकगण

विरूद्ध

1– जगदीश प्रसाद

2– सीता प्रसाद तनय लालजीराम

निवासीगण–ग्राम चन्दुआर तहसील देवसर

जिला–सीधी

————अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/1/2017 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–06–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 115 के अंतर्गत तहसीलदार देवसर, जिला–सीधी के समक्ष वादग्रस्त भूमि पर कब्जा दर्ज के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार देवसर के प्रकरण क्रमांक 62/अ–76/80–81 में पारित आदेश दिनांक 04.08.84 के द्वारा कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी देवसर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31.01.85 द्वारा निरस्त की गई । इसी आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त रीवा के आदेश दिनांक 20.06.2002 को अपील स्वीकार करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों को निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या कच्ची

टीप के आधार पर संहिता की धारा 115–116 के अंतर्गत नामांतरण किया जा सकता है। विधि में सुस्थापित सिद्धांत है कि संहिता की धारा 115–116 के अंतर्गत राजस्व अभिलेखों में हुई त्रुटी को सुधारा जा सकता है। इस धारा के अंतर्गत नामांतरण किये जाने अथवा कोई नवीन इन्द्राज किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा कच्ची बेची टीप के आधार पर आवेदकों का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया है जबकि संहिता की धारा 109–110 के अंतर्गत नामांतरण किये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार के अवैधानिक आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों पर न करते हुये समय–सीमा के आधार पर अपील निरस्त करने में त्रुटी की है। इसी कारण अपर आयुक्त द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त कर अपील स्वीकार की गई है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 20.06.2002 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,